

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-16-2010-1-पांच (67).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उक्त उपधारा के खण्ड “क” के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट वर्ष 2010-11 से संबंधित विवरणियाँ/युनरीक्षित विवरणियाँ प्रस्तुत करने की तारीख, 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ, जो कि धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार देय ब्याज के अतिरिक्त होगा, 30 सितम्बर, 2011 तक बढ़ाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-16-2010-1-पांच (67).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-16-2010-1-पांच (67), दिनांक 7 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th September 2011

No. F.-A-3-16-2010-1-V(67).—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, extends the date of filling of returns/revised returns, as specified in sub-clause (i) of clause (a) of the said sub-section, pertaining to the year 2010-2011 with an interest of 0.5% per month, which shall be in addition to the interest payable in accordance with the provision of clause (a) of sub-section (4) of Section 18, up to 30th September 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.